

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 165]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 11 अप्रैल 2022—चैत्र 21, शक 1944

वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 11 अप्रैल 2022

क्र. एफ ए 3-03-2022-1-पांच (21).—यतः, राज्य सरकार, यह आवश्यक समझती है कि वेट नियम, 2006 में निम्नलिखित संशोधन राजपत्र में पूर्व प्रकाशन के बिना तत्काल किया जाए;

अतएव, मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, 2002 (क्रमांक 20 सन् 2002) की धारा 71 की उपधारा (1) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ ए 3-03-2022-1-पांच (16), दिनांक 22 फरवरी 2022 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:—

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, अनुक्रमांक (2) पर, खण्ड (तेरह) में, शब्द तथा अंक “31 जनवरी 2022” के स्थान पर शब्द तथा अंक “15 अप्रैल 2022” स्थापित किये जाएं.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. श्रीवास्तव, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 11 अप्रैल 2022

क्र. एफ ए 3-30-2022-1-पांच.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस आशय का शुद्धि-पत्र क्रमांक क्र. एफ ए 3-30-2020-1-पांच (21), दिनांक 11 अप्रैल 2022 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. श्रीवास्तव, उपसचिव.

Bhopal, the 11th April 2022

No. F A 3-03-2022-1-V-(21).—WHEREAS, the State Government considers it necessary that the following amendment in Madhya Pradesh Vat Rules, 2006 should be made at once without previous publication in the Madhya Pradesh Gazette;

Now, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by the proviso to sub-section (1) of Section 71 of the Madhya Pradesh Vat Act, 2002 (No. 20 of 2002), the State Government, hereby, makes the following amendment in this department's Notification No. F A 3-03-2022-1-V-(16), dated 22nd February, 2022, namely :—

AMENDMENT

In the said notification at serial number (2), in clause (XIII) for the figure and word "31st January, 2022", the figure and word "15th April, 2022" shall be substituted.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
R. P. SHRIVASTAVA, Dy. Secy.